निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1937 (श0)

(सं0 पटना 843) पटना, बुधवार, 22 जुलाई 2015

l Œ ;kŒoŒ&217@2010&610@iŒoŒ
&&&&&&&&
पर्यावरण एवं वन विभाग

संकल्प
7 मार्च 2011

विषय–राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अलोक में पर्यावरण संतुलन, मृदाक्षरण, बाढ़ नियंत्रण एवं बिहार राज्य के वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं संवर्द्धन तथा समन्वित ग्राम वनीकरण समृद्धि इत्यादि योजनाओं को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने हेतु वन विकास अभिकरण के संघ के रूप में राज्य वन विकास अभिकरण के गठन के संबंध में।

राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुसार पर्यावरण संतुलन, मृदाक्षरण, बाढ़ नियंत्रण हेतु देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33 प्रतिशत भू–भाग को वृच्छादित किये जाने, ग्रामीण समुदायों के जलावन इत्यादि से संबंधित दैनिक आवश्यकताओं की प्रूर्ति किये जाने के फलस्वरूप वन क्षेत्रों में हो रही ह्रास से बचाने तथा ग्रामीण विकास हेतु वन संसाधन की वृद्धि करने और वन विकास एवं नियोजन की उत्पत्ति को जोड़ने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा अपनी निधि से सभी योजनाओं का कार्यान्वयन समेकित रूप से संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम वन प्रबंधन एवं सुरक्षा समिति द्वारा कराने का निर्णय लेते हुए ग्राम वन प्रबंधन एवं सुरक्षा समिति के संघ के रूप में प्रत्येक प्रमंडल में वन विकास अभिकरण का गठन करना अनिवार्य किया गया था।

2. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के उक्त मार्ग दर्शन के आलोक में पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या – 3775 दिनांक 07.12.2000 एवं पुनः संकल्प संख्या 109 दिनांक 07.01.2002 द्वारा वन विकास अभिकरण का गठन किये जाने के निर्णय के आधार पर समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत अबतक 10 वन विकास अभिकरणों को ग्राम वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति/इको विकास समिति के संघ के रूप में निबंधित किया गया है।

3. योजनाओं को अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने हेतु वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक– F.NO.-25-1-1/99 BLL दिनांक 10.12.2009 द्वारा संशोधित करते हुए पूर्व गठित वन विकास अभिकरणों के संघ के रूप में राज्य वन विकास अभिकरण का गठन करने का निर्देश दिया गया है।

4. उपरोक्त मार्ग दर्शन के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत समिति का नाम ''बिहार राज्य वन विकास अभिकरण'' होगा, के गठन का निर्णय लिया गया है।

5. बिहार राज्य वन विकास अभिकरण का निबंधन निबंधित कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के कार्यालय में अवस्थित होगा।

6. समिति के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित होंगे –

(क) राज्य वन विकास अभिकरण राज्य में वन विकास अभिकरणों के संघ के रूप में नीति समर्थन, कार्यक्रम एवं परियोजना सहित ऐसे सभी कार्य जो वन एवं उसके आस–पास के क्षेत्रों के पुनर्जीवन, विकास एवं प्रबंधन के लिए तथा ऐसे ही अन्य कार्यकलापों जिसमें जनता की सहभागिता हो, केन्द्र पोषित/केन्द्रीय सेक्टर की वानिकी योजनायें सहित का कार्यान्वयन भी कर सकता है।

(ख) राज्य वन विकास अभिकरणों राज्य सरकार या उसके अभिकर्त्ता के रूप में सौपें गये वानिकी एवं सदृश क्रियाकलाप कर सकेगा।

(ग) राज्य वन विकास अभिकरण, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थायें/द्विपार्शवीय/बहुपार्शवरीय निधि प्रदाई संगठनों के सहयोग से वानिकी एवं सदृश योजनाओं का सूत्रण एवं कार्यान्वयन करेगा।

(घ) वानिकी की एवं सदृश कार्यकलापों के साथ–साथ राज्य वन विकास अभिकरण वैसे कार्यकलाप भी कर सकता है जो वनो पर आश्रित एवं वन तटीय गाँवों की जनता के विकास में सहायक हो।

(ड) राज्य वन विकास अभिकरण द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु वह अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, जिसमें प्राथमिकता निर्धारण करना, अनुश्रवण, मूल्यांकन आदि की शक्तियाँ होगी और इस हेतु यह इन कार्यों को स्वयं करने के संबंध में निर्देश एवं मार्गदर्शन जारी कर सकेगा।

(च) राज्य वन विकास अभिकरण पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों के यथास्थापन को प्राथमिकता देगा।

7. बिहार राज्य वन विकास अभिकरण द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप किये जायेंगे।

(क) वन विकास अभिकरणों की सभी योजनाओं की वार्षिक कार्य योजना का परिनिरीक्षण एवं अनुमोदन।

(ख) अनुमोदित योजनाओं को भारत सरकार से स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना।

(ग) भारत सरकार से निधि प्राप्त करना एवं इसे समय–समय पर आवश्यकतानुसार विभिन्न वन विकास अभिकरणों को संवितरित करना।

(घ) वन विकास अभिकरणों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का अनुश्रवण।

(ड) भारत सरकार द्वारा विमुक्त निधि से संकलित उपयोगिता प्रमाण–पत्र का प्रस्तुतीकरण।

(च) भारत सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न वन रोपण योजनाओं का कार्यान्वयन का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।

(छ) वन विकास अभिकरणों द्वारा कार्यान्वित सभी योजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।

(ज) वन तटीय ग्रामों के वन रोपण संबंधी सभी कार्यकलापों के सूक्ष्म–नियोजनाओं सहित योजनाओं को अनुमोदित करना।

8. विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं अन्य विकास के कार्य योजना बजट, CAMPA, एवं भारत सरकार द्वारा संपोषित National Afforestation Programme (NAP) के तहत की जा रही है। इन सभी योजनाओं के सूत्रण एवं क्रियान्वयन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षण (विकास), बिहार योजना बजट के सूत्रण एवं क्रियान्वयन के लिए पूरी तहर जिम्मेदार है, CAMPA के कार्यकारी समिति के सदस्य है जो CAMPA के योजनाओं का सूत्रण करती है एवं NAP के वह नोडल पदाधिकारी भी हैं। अतः अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के स्तर पर सभी योजनाओं का समन्वय किया जाएगा ताकि योजनाओं में विरोधाभास एवं दिरावृत्ति (duplication) की संभावना नहीं रहे। वन विकास निगम तत्काल बन्द पड़ा हुआ है। यदि पुनर्जीवित होता है तो सारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा निगम को दी जाएगी उसे भी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के माध्यम से ही किया जाएगा।

9.अन्य संबंधित सरकारी विभागों से उनके सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का वनरोपण योजनाओं में अन्तर्माजन करने हेतु उनसे समन्वय करना ताकि जल छाजनों का विकास पूर्ण रूप से हो सके।

10. संस्था के सामान्य समिति की स्थापना, संस्था के नियमों के अन्तर्गत होगा।

11. बिहार राज्य वन विकास अभिकरण के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण, कार्य संचालन एवं प्रदत्त शक्तियों आदि के नियम विहित किये गये हैं, जो परिशिष्ट के रूप में संलग्न है। ये नियम बिहार राज्य वन विकास अभिकरण की नियमावली, 2011 कहलायेंगे और ये नियम बिहार राज्य के असाधारण गजट में प्रकाशित होने के तिथि से प्रवृत्त माने जायेंगे।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शुभकीर्ति मजुमदार,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 843-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in